सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुकदमा नंबर	किस्म	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08/21	दावा	02.12.2021	03.01.2023

देवीलाल पुत्र भोरया जाति माली निवासी अमरगढ़ तहसील ,गंगापुर सिटी (स0मा0)

——वादी

लैण्डहोण्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी हाल तहसीलदार तलावडा (स0मा0)

—— प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा , एडवोकेट, वादी की ओर से ।
प्रतिवादी स्वयं ।

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का पेश किया है कि आराजी साविक ख0नं0 5 वाके ग्राम अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी में से दिनांक 8.11.1975 को वादी को 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी। वादी को आवंटित भूमि का ख0नं0 5/4 रकबा 5 बीधा कायम किया गया। तथा दिनांक 8.11.75 को ही मौके पर वादी को कब्जा दिया गया और मौके पर कब्जा देते समय गवाह रामचरण लाल तथा सुकराम मौजूद रहे। तभी से वादी उक्त 5 बीधा भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दौराने हाल सेटलमेंट वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का नया ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर कायम किया परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रुप से उक्त खसरा नंबर को वादी की खातेदारी में दर्ज न कर गलत रुप से सिवायचक भूमि के रुप में दर्ज कर दिया । जिसका सेटलमेंट कर्मचारियों व विभाग को कोई अधिकार व हक नही था। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी के खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्जकर व गलत व अवैधानिक कार्य किया है जिसे निरस्त किया जाकर आराजी हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर में से रकबा 1.25 हेक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है। की खातेदारी वादी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैधानिक रुप से वादी की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किया गया है जिसकी दुरुस्ती की जाकर वादी को भूमि हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर में से 1.25 हेक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का खातेदार घोषित किया जावें नजरी नक्शा दावे का जुज है। वादी गरीब व्यक्ति है तथा

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादी के पास खाने कमाने का एकमात्र यही भूमि है तथा इस भूमि मे वादी ने अपनी बकरियो के चारे के लिये बबूल के कई वृक्ष भी लगा रखे है। जिसके चारे से वह अपनी बकरियों का पेट भरकर पशुपालन कर कार्य करता है। तथा बारिश होने पर उक्त भूमि में काश्त कर उसकी फसल से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक भूमि के रुप में दर्जकर अवैधानिक कार्यवाही की है। सेटलमेंट विभाग को वादी की खातेदारी समाप्त करने का कोई हक व अधिकार नही था इसलिये सेटलमेंट द्वारा की गयी अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त किया जकर रेवन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जाकर आराजी हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावें। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रुप से वादी की खातेदारी की भूमि को सिवायचक कर देने के कारण पटवारी हल्का व तहसीलदार वादी को उसके खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। पटवारी हल्का ने वादी को दिनांक 03.01.2013 को धमकी दी के तुम्हारा इस भूमि से काई ताल्लुख व वास्ता नही है। तुम इस भूमि पर से अपना कब्जा हटालो वरना तुम्हे बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें तुम्हें जेल भी जाना पड सकता है। इस पर वादी को काफी आश्चर्य हुआ तथा वादी द्वारा पटवारी हल्का से कहा कि यह भूमि तो मेरी खातेदारी की भूमि है। इस पर पटवारी ने बताया के यह भूमि अब तुम्हारे खाते में नही है। सिवायचक भूमि है। इसलिये अपना कब्जा हटालो। वादी ने इसके बाद रेवन्यु रिकार्ड की नकले ली तो पता लगा कि सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की भूमि को सिवायचक भूमि के रुप में दर्जकर दिया है। प्रकरण में लैण्डहोल्डर वास्ते राज0 सरकार पक्षकार होने के कारण धारा 80 सी0पी0सी का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का है लैण्डहोल्डर स्वंय तथा अपने कर्मचारियो द्वारा वादी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अगर वादी धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रतिवादी को दिया जाता है तो प्रतिवादी को दौराने अवधि नोटिस भूमि से बेदखल कर देगा। जिससे प्रकरण का ओचित्य ही समाप्त हो जावेगा। इसलिये वादी को धारा 80 (2)सी0पी0सी के तहत नोटिस देने से छुट प्रदान की जावें। धारा 80 (2)सी0पी0सी का पृथक से प्रार्थना पत्र पेश है। वादी का दावा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर ग्राम अमरगढ में से 1.25 हेक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का खातेदार घोपित किया जावे । उक्त भूमि सिवायचक (बंजड)भूमि ख0नं0 2 रकवा 1.52 हे0 में से कम की जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे । आवश्यक हो तो पृथक से खसरा नंवर कायम किये जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे । वर्तमान इन्द्राज निरस्त किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फ़रमाया जावे कि वह वादी को उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 2 के रकवा 1.25 हेक्टर से वेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 31.03.2015 को प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जिसमें लिखा है कि मद नं0 1 आशिंक स्वीकार है वाके ग्राम अमरगढ के साविक ख0नं0 5 से वादी को 5 बीघा भूमि आंवटन होना स्वीकार है

सहायक कलक्टर

(3)

वादी ने आवंटित भूमि पर कब्जा होने बराबर काश्त करने बाबत कोई सबूत पेश नही किया है। वाद पत्र के मद नं0 2 जिस तरह तहरीर किया है स्वीकार नहीं है खतौनी भू–प्रबंध संख्या 2039 वाके ग्राम अमरगढ के अनुसार हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 है0 साविक ख0नं0 5/4 जो कि वादी ने अपने वाद पत्र में आवंटित होना अंकित किया है से नहीं बना है। अपितु ख0नं0 5 मिन में से बना है। हाल ख0नं0 मुताबिक रिकार्ड सिवायचक भूमि दर्ज है। साविक ख0नं0 5 मिन के बने सभी हाल ख0नं0 में से बनना खतौनी भू– प्रबंध संवत 2039 वाके ग्राम अमरगढ के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है कि वादी का कथन गलत है कि इसको आवंटित भूमि खसरा नं0 5/4 से हाल ख0नं0 2 बना है। मद नं0 3 स्वीकार नही है वादी का यह कथन गलत है कि हाल ख0नं0 2 रकबा 1.52 है0 साविक ख0नं0 5/4 से बना है वादी द्वारा साविक व हाल नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नहीं किये गये है, अपितु नजरी नक्शा पेश किया है। मद नं0 4 स्वीकार नही है। वादी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है। मुताबिक जमाबन्दी सवत् 2030–33 वाके ग्राम अमरगढ साविक ख0नं0 5 रकवा 2213 चारागाह दर्ज है। तथा मुताबिक खतौनी भू–प्रबंध खतौनी संख्या 2039 हाल ख0नं0 2 रकवा 1.52 है0 सविक ख.नं0 5 मिन से बना है राज0 टी0 एक्ट 1955 हाल को धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि प्रतिवंधित भूमि की श्रेणी में दर्ज है। अतः प्रतिबधित भूमि का आंवटन न्यायेचित नही है। अतः दावा खारिज योग्य है। मद नं0 5 ता 9 एवं 11 व 12 कानूनी है। मद नं0 10 स्वीकार नही है वादी द्वारा 80 सी0पी0सी का नोटिस नही दिया गया है। तथा अपने वाद पत्र में मामला अर्जेट नेचर का किस प्रकार है स्पष्ट नही किया है जब कि वादी को भूमि आंवटन हुये 38 वर्ष तथा नवीन भू–प्रंबध रिकार्ड जिसमें भूमि सिवायचक दर्ज है 30 वर्ष हो चुके है। अतः दावा इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। मद नं0 13 स्वीकार नही है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2030–2033 साविक ख0नं0 5 रकवा 22.8 बीघा भूमि चारागाह दर्ज है जो राज0 टी0 एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है। अतः दावा इसी बिना पर खारिज योग्य है। दिनांक 15.03.17 को उभयपक्षकारान उपस्थित हुये तथा तनकी कायम कि गई जिसके बिन्दु निम्न प्रकार है।

तनकी सं0 1 आया भूमि साबिक ख0नं0 5/4 रकबा 5 बीघा ग्राम अमरगढ वादी की आवंटन शुदा व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका नवीन खं0 नं0 2 रकबा 1.25 है0 कायम कर इसे गलत रुप से सिवायचक दर्ज कर दिया है। –वादी

तनकी सं0 2. आया वादी की आवंटनशुदा भूमि को गलत रुप से सिवायचक दर्ज कर देने के कारण प्रतिवादी ने दिनांक 03.01.13 को इस भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। –वादी

तनकी सं0 3. आया वादी भूमि ख.नं0 2 रकबा 1.52 है0 में से रकबा 1.25 है की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। – वादी

तनकी सं0 4. आया भूमि ख0नं0 2 साबिक ख0 नं0 5/4 से नहीं बना है बल्कि साबिक ख0नं0 5 मिन से बना है। – प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(4)

तनकी सं0 5. आया वादग्रस्त भूमि साविक ख0नं0 5 रकबा 22 बीघा 8 बीस्वा चारागाह भूमि रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है इसलिए वादी को भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती है। – प्रतिवादी

तनकी सं0 6. आया वादग्रस्त भूमि पद वादी का आवंटन के समय से निरन्तर कब्जा नही रहा है। इसलिए वादी का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। – प्रतिवादी

तनकी सं0 7. अनुतोष।

वादी ने अपने वाद के पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2030–33 प्रदर्श–1 , नकल आंवटन पट्टा प्रदर्श–2, नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–3, नकल नामान्तकरण संख्या 137 ग्राम अमरगढ प्रदर्श–4 , नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सेंटलमेंट प्रदर्श–5, नकल नक्शा ट्रेस हाल प्रदर्श–6, नकल जमाबदी संवत् 2066–69 प्रदर्श–7 तीन प्रति , नकल जमाबंदी संवत् 2066–69 प्रदर्श–8, नकल नक्शा ट्रेस सविक ग्राम अमरगढ प्रदर्श–9 एवं नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2077 पेश किये है। प्रतिवादी ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रुप में गवाह पी.डब्लू–1 देवीलाल व पी.डब्लू–2 गवाह रामप्रसाद पी.डब्लू–3 शिवचरण के बयान करवाये जाकर अपनी साक्ष्य बंद की प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे को ही साक्ष्य के रुप में मानने के लिए कहा है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । वकील वादी ने अपनी बहस में अपने दावे में वर्णित तथ्यो की पुष्टि करते करते हुए बताया है कि वादी को साविक ख.नं0 5 में से 5 बीघा भूमि आंवटित की गई थी जिसके समर्थन में वादी ने आंवटन आदेश प्रदर्श–2 व कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श–3 पेश करना बताया है तथा भूमि के सिवायचक होने के संबध में वादी ने नकल संवत् 2030–33 पेश की है जिसमें साविक भूमि ख.नं0 5 को सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने के नोट अंकित होने के बाद ही भूमि का आंवटन वादी को किये जाने का कथन किया है तथा इस संबध में दस्तावेज नकल जमाबंदी पेश करना कहा है। साथ ही वादी ने भूमि के आवंटन के संबध में नकल नामांतकरण संख्या 137 प्रदर्श–4 जो वादी के नाम भूमि आवंटन के बाद दर्ज किया गया है पेश करना कहा है। तथा वादी के कब्जे – काश्त की भूमि के दौराने सेंटलमेंट नया ख.नं0 2 रकवा 1.52 हेक्टर कायम करना कहा है। तथा उक्त 1.52 है0 रकवे में सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि 1.25 है0 को शामिल करने का कथन कहा है। इस संबध में वादी ने नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, नकल साविक नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 9 , नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी प्रदर्श–7 तथा भूमि पर कब्जे के संबध में खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश करना कहा है। साथ ही मौखिक साक्ष्य के रुप में वादी ने स्वयं के बयान दर्ज कराने बाबत कथन किया है तथा स्वतंत्र साक्ष्य के रुप में गवाह पी.डब्लू–2 रामप्रसाद, पी.डब्लू–3 शिवचरण के बयान कराये है। जिसमें गवाह पी. डब्लू–2 ने वादी के दावे की पुष्टि की है तथा जिरह में भूमि का आवटंन स्वयं के सामने होने तथा भूमि पर बरसाती फसल स्वयं के सामने वादी को काश्त करने व कब्जा होना बाताया है। गवाह पी.डब्लू–3 शिवचरण ने मौके पर देवीलाल का कब्जा होने तथा भूमि पर देवीलाल द्वारा बबूल के पेड लगाये जाने का कथन किया है।

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि वादी का दावा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णत साबित है तथा सेटलमेंट द्वारा गलत व अवैधानिक रुप से वादी की खातेदारी भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज किया गया है। जिसकी दुरुस्ती की जाकर विवादित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा

पाबंद फरमाया जावे की वह वादी को भूमि के कब्जे– काश्त व उपयोग– उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे ।

प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने जबाब के अनुरुप कथन करते हुए कहा है कि विवादित भूमि चरागाह भूमि है जिसे आवंटित नही किया जा सकता तथा उक्त भूमि राज0 टी0एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि है। विवादित भूमि साविक खं0नं0 5/4 मिन से बना है। तथा मौके पर वादी का भूमि पर कब्जा नही है।

उभयपक्षकरान की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया तथा पत्रावली में कायम तनकीयात अनुसार निम्न निष्कर्ष तनकीवार तय किये गये।

तनकी सं0 1 आया भूमि साबिक ख0नं0 5/4 रकबा 5 बीघा ग्राम अमरगढ वादी की आवंटन शुदा व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका नवीन खं0नं0 2 रकबा 1.25 है0 कायम कर इसे गलत रुप से सिवायचक दर्ज कर दिया है उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने उक्त तनकी के समर्थन में वादी ने साविक ख.नं0 5 में से वादी को 5 बीघा भूमि आंवटित होने के संबध में प्रदर्श–2 आवंटन आदेश उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश किया है जिसमें वादी को आवंटित भूमि का ख.नं0 5/4 होना अंकित है। तथा प्रदर्श–4 नकल नामांतकरण 137 में भी भूमि का खं0नं0 5/4 होना अंकित है। तथा नकल जमाबंदी संवत् 2030–33 में भी वादी के नाम दर्ज किये गये नोट में भी भूमि का ख.नं0 5/4 अंकित है तथा दौराने हाल सेटलमेंट उक्त भूमि का नया ख.नं0 2 कायम कर सिवायचक करने के संबध में वादी द्वारा नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 पेश किया है जिसमे वादी की खातेदारी की भूमि को साबिक खं0नं0 5 मिन से बनना अंकित किया जाकर उसका नया खसरा नंबर 2 रकवा 1.52 है0 सिवायचक (बंजड) के रुप में दर्ज कर उक्त भूमि में 1.25 रकवा वादी का शामिल किया है जिसके संबध में वादी ने नकल जमांबादी प्रदर्श–7 पेश कि है। जिससे वादी के कथनो की पुष्टि होती है। प्रतिवादी ने कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह साबित हो सके की खं0नं0 5 मिन से हाल ख.नं0 2 कायम नही किया गया हो। इसलिये उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0– 2 आया वादी की आवंटनशुदा भूमि को गलत रुप से सिवायचक दर्ज कर देने के कारण प्रतिवादी ने दिनांक 03.01.13 को इस भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1, लगायत प्रदर्श–5 से वादी के कथन की पुष्टि होती की वादी की भूमि का आवंटन वादी को किया गया तथा वादी उक्त भूमि का खातेदार है परन्तु

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि का गलत रुप से सिवायचक भूमि के रुप में दर्ज कर दिया गया। तथा सिवायचक भूमि होने के कारण प्रतिवादी तथा उसके कर्मचारीयों द्वारा वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने कि कार्यवाही की गई जिसका समर्थन प्रतिवादी ने अपने जबाब व साक्ष्य में किया है। जिससे वादी के उक्त तनकी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3 आया वादी भूमि ख.नं0 2 रकबा 1.52 है0 में से रकबा 1.25 है की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करवाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जिसके समर्थन में वादी ने दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 9 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के रुप में गवाहन पी.डब्लू–1 , पी.डब्लू–2, पी.डब्लू–3 के बयान कराये है। दस्तावेज प्रदर्श–2 के अनुसार वादी को भूमि का आवंटन होना साबित है , प्रदर्श–3 के अनुसार वादी को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया जाना प्रमाणित है। , प्रदर्श–4 भूमि आवंटन के उपरान्त वादी के नाम भूमि का नामांतकरण दर्ज किया जाना प्रमाणित है, प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होना प्रमाणित है , प्रदर्श–5 के अनुसार भूमि का हाल खं0नं0 2 कायम किया जाना प्रमाणित है , प्रदर्श–7 के अनुसार भूमि का सिवायाचक(बंजड) भूमि होना प्रमाणित है तथा प्रदर्श–6 व 9 विवादित भूमि के हाल व सविक नक्शा ट्रेस है एवं भूमि के कब्जे के संबध में खसरा परिवर्तनशील की नकल व गवाहन पी.डब्लू–1 , पी.डब्लू–2, पी.डब्लू–3 के मौखिक साक्ष्य कराई है जिससे विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित है जबकि प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष गलत हो। इसलिए उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित कि जाती है।

तनकी सं0 4 आया भूमि ख0नं0 2 साबिक ख0 नं0 5/4 से नहीं बना है बल्कि साबिक ख0नं0 5 मिन से बना है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादी तथा प्रतिवादी दोनो का कथन है कि हाल खं0नं0 2 साबिक खं0नं0 5 मिन से कायम किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रदर्श–5 से होती है परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह कहा जा सके कि सेटलमेंट विभाग द्वारा सविक खं0नं0 5/4 का पृथक से कोई नंबर कायम किया हो इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 5. आया वादग्रस्त भूमि साबिक ख0नं0 5 रकबा 22 बीघा 8 वीस्वा चारागाह भूमि रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है इसलिए वादी को भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी ने जबाब दावे में अंकित किया है कि सविक खं0नं0 5 चारागाह भूमि है तथा राज0टी0एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। परन्तु प्रतिवादी ने इस संबध में अपने जबाब दावे में जमाबंदी संवत् 2030–2033 का वर्णन मद नंबर 4 में करते हुऐ भूमि को चारागाह होना अंकित किया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश–1 नकल जमाबंदी संवत् 2030–33 के अवलोकन से

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

स्पष्ट है कि विवादित भूमि ख0नं0 5 को सिवायचक भूमि दर्ज किये जाने के उपरान्त ही भूमि पृथक–पृथक व्यक्तियों को आवंटित की गई जिसका नोट प्रदर्श–1 पर अंकित है जो प्रतिवादी के कथनो के विपरीत है तथा वादी के कथनो के अनुरुप है अर्थात

भूमि आवंटन के समय विवादित भूमि चारागाह भूमि न होकर सिवायचक भूमि थी जिसमें से 5 बीघा भूमि का आवंटन वादी को किया गया। जिससे वादी के कथन की पुष्टि होती है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 6 आया वादग्रस्त भूमि पद वादी का आवंटन के समय से निरन्तर कब्जा नही रहा है। इसलिए वादी का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में

प्रस्तुत नही किया है जिससे यह कहा जा सके कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा न हो जबकि वादी ने आवंटित भूमि पर अपने कब्जे के संबध में दस्तावेज

प्रदर्श–3 कब्जा रिपोर्ट पटवारी, प्रदर्श–4 नामांतकरण एवं नकल खसरा परिवर्तनशील पेश कि है तथा कब्जे बाबत स्वतंत्र साक्ष्य के रुप में गवाह पी.डब्लू–2 व पी.डब्लू–3 के बयान कराये है जिसमें गवाहन ने विवादित भूमि पर वादी का कब्जा होना कहा है। इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 7 अनुतोष। तनकी संख्या 1 लगायत 6 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है इसलिए वादी अपने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः दावा वादी इस आशय का डिक्री किया जाता है कि भूमि ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर ग्राम अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील तलावडा में से 1.25 हेक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त 1.25 हेक्टर भूमि सिवायचक (बंजड) भूमि ख0नं0 2 रकबा 1.52 में से कम की जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे । नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 03.01.2023 को सुनाया गया।

नोटः– आदेश दि. 20.01.23 के अनुसार ख.नं. 2 रकबा 1.52 है. ग्राम अमरगढ़ में से 1.25 है. के स्थान पर ख.नं. 1251/2 रकबा 0.85 है. ग्राम अमरगढ़ की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

(जोगेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मु0नं0 8/21,दावा ,देवीलाल बनाम लैण्डहोल्डर

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6 – जाब्ता दीवानी)
(civil proceede codeAppendix D-1)

Judi/Civil
part IV-10

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
इजलास जोगेन्द्र सिंह , आर0ए0एस0

उनवान

देवीलाल पुत्र भोरया जाति माली निवासी अमरगढ़ तहसील ,गंगापुर सिटी (स0मा0)
—— वादी

लैण्डहोण्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी हाल तहसीलदार तलावडा (स0मा0)
——प्रतिवादी

मु0नं0 08/21

दावा बाबत घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्डहोल्डर तहसीलदार तलावडा मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है की दावा वादी इस आशय का डिक्री किया जाता है कि भूमि ख0नं0 2 रकबा 1.52 हेक्टर ग्राम अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी हाल तहसील तलावडा में से 1.25 हेक्टर भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त 1.25 हेक्टर भूमि सिवायचक (बंजड) भूमि ख0नं0 2 रकबा 1.52 में से कम की जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादी को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे । नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.01.2023 को जारी किया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट:→ आदेश दि. 20.01.23 के अनुसार ख० नं० 2 रकबा 1.52 है० ग्राम अमरगढ़ में से 1.25 है० के स्थान पर ख० नं० 1241/2 रकबा 0.85 है० ग्राम अमरगढ़ की खातेदारी वादी के नाम की जावे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी